हम विश्वास करते हैं

एक दूसरे में

मुद्रक :- जिला सहकारी संघ मर्या., सहकारी मुद्रणालय, चौबे कालोनी, रायपुर (छ.ग.)

बहुउद्देशीय

पुरूष/महिला सहकारी संस्थाओं की

आदर्श उपविधि

-: प्रकाशक :-

रायपुर जिला सहकारी संघ मर्या.

सहकारी मुद्रणालय, सहकारी सदन, चौबे कालोनी,

रायपुर (छ. ग.) फोन : 0771-2255998

बहुउद्देश्यीय महिला/पुरूष सहकारी संस्थाओं की आदर्श उपविधियां

उपविधि क्रमांक (1) :-

1.0 नाम- पता और कार्यक्षेत्र ....

1.1 इस संस्था का नाम .... पुरूष/महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मर्यादित

1.2 संस्था का पंजीकृत पता- .... ग्राम............................... पोस्ट आफिस......................तहसील........................जिला..........................

1.3 संस्था का कार्यक्षेत्र :
.... जिला तक रहेगा।

नोट :- संस्था के पंजीकृत पते में किसी भी प्रकार से परिवर्तन होने पर इसकी सूचना पंजीयक, प्रत्येक सदस्य एवं उस संस्था को जिसकी यह संस्था सदस्य है, 30 दिन के अन्दर पंजीकृत डाक द्वारा दी जावेगी।

उपविधि क्रमांक (2) :-

2.0 **परिभाषाएं -**
इन उपविधियों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों-

2.1 ''अधिनियम'' से तात्पर्य छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 से है।

2.2 ''नियम'' से तात्पर्य छ.ग. सहकारी सोसायटी नियम 1962 से है।

2.3 ''सहकारी वर्ष'' से तात्पर्य प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।

2.4 ''धारा'' से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।

2.5 ''उपविधियों'' से तात्पर्य अधिनियमों के अंतर्गत इस संस्था की पंजीकृत अथवा पंजीकृत मान्य की हुई उपविधियों से है तथा जो तत्समय प्रवृत्त हो, और उनके अंतर्गत उपविधियों का कोई पंजीकृत संशोधन आता है।

2.6 ''पंजीयक'' से तात्पर्य धारा-3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी संस्थाएं छ.ग. के पंजीयक से है, अथवा उस अधिकारी से जिसे संस्था के संबंध में पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

2.7 ''लाभांश'' से तात्पर्य किसी सदस्य को उसके द्वारा धारित अंशों के मूल्य के अनुपात में संस्था के लाभ में से चुकाई गई रकम से है।

2.8 ''सदस्य'' से तात्पर्य इस संस्था के रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन में संयोजित होने

वाली कोई महिला जो संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करती हो एवं जिसे इन उपविधियों के अनुसार सदस्यता प्रदान कर दी गई हो।

2.9 ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य सहकारी अधिनियम/नियम तथा संस्था की उपविधियों अनुसार नामंकित/निर्वाचित, अध्यक्ष/सभापति या चेयरमेन से है।

2.10 ''कार्यक्षेत्र'' से तात्पर्य है वह क्षेत्र जहां से सदस्यता ली जा सकती है।

2.11 ''समिति'' से तात्पर्य है धारा 48 के अधीन गठित किया गया संचालक मंडल / प्रबन्धकारिणी चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाती हो।

2.12 ''प्रबंधक/कर्मचारी'' से तात्पर्य संस्था के कार्य संचालन के लिए प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्ति सेवारत् अधिकारी/कर्मचारी से है।

2.13 ''राज्य शासन'' से तात्पर्य छ.ग. शासन से है।

2.14 ''सेवा नियम'' से तात्पर्य अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत पंजीयक द्वारा प्रसारित सेवा नियमों से है।

2.15 ''संस्था'' से तात्पर्य उपविधि क्रमांक-1 में वर्णित संस्था से है।

2.16 ''प्रतिनिधि'' से तात्पर्य है संस्था की ऐसी सदस्य जो संस्था का प्रतिनिधित्व अन्य संस्था में करने के लिए प्रबन्ध समिति द्वारा निर्वाचित की गई हो।

2.17 ''विनिर्दिष्ट'' पद से तात्पर्य है अध्यक्ष/सभापति का पद।
ऐसी परिभाषाएं जो इन उपविधियों में विर्णत नहीं हैं, उनकी व्याख्या अधिनियम एवं नियमों में दी गई परिभाषाओं से की जावेगी।

उपविधि क्रमांक (3) :-

3.0 **उद्देश्य**

3.1 संस्था का मुख्य उद्देश्य अपने कार्यक्षेत्र में विशेषत: अपनी महिला सदस्यों तथा सामान्यत: उनके परिवार एवं संस्था, सभातिकार्थिक दशाओं, उनमें छिपे गुणों, कौशल्य, स्वभाव तथा स्थानीय स्थितियों के अनुकूल उत्पादक कार्यो को हाथ में लेकर सुधार लाना होगा ताकि मजबूत गतिशील, स्वालम्बित ग्राम अर्थ के अतिरिक्त ग्राम स्वालम्बन के लक्ष्य की ओर अग्रसर, संस्था के सदस्य स्वालम्बित बनकर समाज में सम्मानित स्थान पा सकें।

3.2 उक्त वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सदस्यों को संगठन एवं सेवा से सम्बन्धित क्रियाओं जो उन्हें लाभदायक तथा उत्पादन, स्वरोजगार के अवसर एवं वृद्धिगत आय उपलब्ध कराले, निम्न कार्य/गतिविधियां अपने हाथ में ले सकेगी। कच्चे रेशम के धागों के उत्पादन हेतु, आरी ककून की बुनाई, ककून उत्पादन के लिए कीड़े, मूंगा, शहतूत का

पालन, मूंगा-कीड़ों आदि के खाद्य एवं पालन हेतु शहतूत के पौधों की नर्सरी एवं व्यवसायिक पौधों का रोपण।

3.3 हस्तकरघा बुनाई, दर्जीगिरी स्कूल गणवेश, अस्पताल के परिधान (ड्रेस) एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं यथा बिस्तर की चादरें, तकिए, तकियों के गिलाफ टेबिल क्लाफ, पर्दे आदि जेल कर्मियों, पूलिस की यूनिफार्म (गणवेश), कैदियों की ड्रेस, डाक बंगलों, सर्किट हाऊसों एवं राज्य शासन, शाकसीय उपक्रमों को लगने वाले कपड़ों, बुनाई, कटाई एवं कशीदाकारी के कार्य, कपड़े पर हाथ से छपाई के ब्लाक, धागों की रंगाई एवं प्रक्रिया, कारपेट, दरी, शाल, मफलर बनाना, सिले कपड़े, परिधान, फैशन डिजाइन आदि तैयार करना आदि।

3.4 मुर्गी पालन, डेयरी, मत्स्य पालन, बतख-पालन, सुअर पालन एवं कृषि आधारित उत्पादन एवं उद्योगों तथा तत्सम्बन्धी कार्य करना।

3.5 गृह उद्योग यथा पापड़ बनाना, खाद्य एवं फल प्रसंस्करण, जेम, जेली, रस, अचार, भुजिया अन्य स्वादिष्ट व्यंजन मूंगफली दाने तलना तथा पैकिंग करना, आलू चिप्स, केले के चिप्स,नान मसाला आदि तैयार करना एवं पैकिंग करना।

3.6 जीरा, धनिया, काली मिर्च, सूखी मिर्च, हल्दी अदरक, पावडर इत्यादि पीसना व पैकिंग करना।

3.7 हस्तशिल्प जैसे बेंत व बांस का काम बांस की चटाई, बांस की शीतल पट्टी, डोली और खिलौने (लकड़ी एवं मिट्टी) सजावटी लकड़ी एवं बांस की टेबिल एवं चटाई आदि तैयार करना।

3.8 मधुमक्खी पालन करना एवं तत्सम्बन्धी कार्य करना।

3.9 बागवानी (फलदार वृक्षों का रोपण जैसे नारियल, सुपाड़ी, आम, कटहल, पाइनापाइल आदि) फल सब्जी का विपणन एवं फलों का पैकिंग करना।

3.10 सामाजिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए खान, पान (केटरिंग) सेवाएं करना।

3.11 कम्प्यूटर का रखरखाव आदि।

3.12 राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत संचालित मिशनों के साक्षरता कार्यक्रमों को हाथ में लेना और साक्षरता के लिए कार्य करना।

3.13 रिक्त भूमि पर जल्दी बढ़ने वाली लकड़ी के पौधों का रोपण, वन विभाग की सहायता से करना।

3.14 उक्त कार्यकलापों एवं गतिविधियों के संचालन के लिए निम्न कार्यो को हाथ में लेना।

3.15 आवश्यकता के अनुसार शाखाएं, डिपो, विक्रय दुकानें, शोरूम, प्रदर्शन प्रक्षेत्र, सामान्य

वर्कशाप, वर्कशेड खोलना/सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तुओं का क्रय-विक्रय करना।

3.16 आवश्यक तकनीकी व्यक्तियों को नियोजित कर सदस्यों के लाभ के लिए तकनीकी सेवांए एवं विस्तार उपलब्ध कराना।

3.17 सदस्यों द्वारा अपनाई गई गतिविधियों अथवा किसी या अधिक उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए लघु एवं मध्यम अवधि की साख उपलब्ध कराना।

3.18 कुटीर व लघु उद्योगों के क्रियाकलापों, जो सदस्यों द्वारा अपनाई गई हैं, आवश्यक कच्चा माल, मशीन अन्य औजार, मत्स्य पालन एवं चिकिन फूड में काम आने वाली सामग्री उपलब्ध कराना, खरीदना और प्रदाय करना।

3.19 सदस्यों द्वारा उत्पादित कुटीर एवं लघु अद्योग इकाईयों, डेयरी, पशु पालन, मत्स्य पालन एवं कृषि उत्पाद के उत्पाद को लाभदायक मूल्य पर सीधे अथवा अन्य सहकारी संस्थाओं, शासकीय उपक्रमों अथवा अन्य अभिकरणों द्वारा विपणन की व्यवस्था सदस्यों के लाभ केलिए करना।

3.20 सदस्यों गैर सदस्यों, सहकारी संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंको, वित्तीय संस्थाओं, शासन तथा अन्य संगठनों, सहित अमानतें व ऋण के रूप में निधियां एकत्रित करना।

3.21 सदस्यों के मध्य बचत एवं स्वयं सहायता एवं सहकारिता को प्रोत्साहित करना तथा सदस्यों व गैर सदस्यों के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की ट्रायसेम योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिलाना।

3.22 सहकारी प्रचार करना, सहकारी साहित्य वितरित करना तथा सदस्यों और गैर सदस्यों को सहकारिता का ज्ञान एवं उसके व्यवहारिक उपयोग के सम्बन्ध में बताना।

3.23 छ.ग. में सम्बन्धित ग्राम पंचायत तथा पंजीयक, सहकारिता के द्वारा अनुमोदित क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास और सदस्यों के आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करने वाले अन्य कार्यक्रमों को सामान्य तथा हाथ में लेना, संचालन करना।

3.24 सामाजिक बुराइयों, तथा बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशा, जुआं, नशीली दवाईयों का उपयोग, बालिकाओं के साथ भेदभाव आदि के विरूद्ध अविरल अभियान चलाना तथा तत्सम्बन्धी कार्य करना।

उपविधि क्रमांक (4) :-

4.0 अंशपूजी

4.1 इस संस्था की अधिकतम अंश पूंजी पांच लाख रूपये होगी जो निम्नानुसार वर्गो में विभक्त होगी :-

अधिकृत पूंजी में से ''क'' वर्ग के एक हजार अंश होंगे। प्रत्येक अंश का मूल्य रूपया 100/- होगा।

4.2 ''ख'' वर्ग के दो सौ अंश होंगे जिसके प्रत्येक अंश का मूल्य रूपया 1,000/- होगा।

4.3 ''क'' वर्ग के अंश केवल व्यक्तिगत सदस्यों के द्वारा लिए जाएंगे। ''ख'' वर्ग के अंश केवल राज्य शासन द्वारा लिए जा सकेंगे।

4.4 ''क'' वर्ग के अंश एक किश्त में लिए जावेंगे। प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक अंश लेना अनिवार्य होगा।

उपविधि क्रमांक (5) सदस्यता :-

संस्था की सदस्य बनने की इच्छुक महिला में निम्न अहर्ताएं होनी चाहिए :-

5.1 वह संस्था के कार्यक्षेत्र की निवासी हो और उसने संस्था की उपविधियों को पढ़कर मान्य कर लिया हो।

5.2 उसका आचरण अच्छा हो।

5.3 उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जो भारतीय विधान के अंतर्गत अनुबंध करने में सक्षम हो परन्तु मृत सदस्यों के अल्पवय उत्तराधिकारियों के लिए आयु का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। परन्तु अवयस्क को न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षक के माध्यम से सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे सदस्य अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने संरक्षक के माध्यम से अधिकार का उपयोग उन दायित्वों के अधीन रहते हुए करेंगे जो इन उपविधियों के अधिकार हैं।

5.4 उसने न्यूनतम एक अंश क्रय हेतु रूपए 100.00 की राशि व प्रवेश शुल्क रूपए 10.00 जमा करा दिया हो।

5.5 उसे दिवालिया घोषित न किया गया हो।

5.6 उसे राजनैतिक ढंग की सजा को छोड़कर किसी नैतिकता सम्बन्धी अपराध में दंडित न किया गया हो परन्तु यदि दंड की अवधि से 5 वर्ष व्यतीत हो गए हों तो यह अयोग्यता लागू नहीं होगी।

5.7 उसे किसी सरकारी सेवा/सहकारी संस्था में निष्कासित न किया गया हो।

5.8 वह अधिनियम की धारा 48-ए के अधीन निरर्हित न हो।

5.9 राज्य शासन यदि संस्था का सदस्य बनता है तो वह प्रवेश शुल्क जमा करने तथा सदस्य रजिस्टर में हस्ताक्षर करने से मुक्त रहेगा। पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार संस्था द्वारा राज्य शासन के हिस्से वापिस किए जा सकेंगे।

उपविधि क्रमांक (6) सदस्यता अभिप्राप्त करने हेतु प्रक्रिया :-

आरम्भ में सदस्य वे महिलाएं होंगी जिन्होंने संस्था के पंजीयन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हों उसके बाद नए सदस्य प्रबन्ध समिति की स्वीकृति से सम्मिलित किए जावेंगे।

6.1 संस्था की सदस्यता हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक आवेदन को अध्यक्ष एवं उसकी अनुपस्थिति में प्रबन्धक द्वारा प्राप्त किया जावेगा। उक्त पदाधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि प्रबन्ध समिति प्रबन्ध समिति की प्रत्येक बैठक में उस बैठक तक प्राप्त हुए सभी सदस्यता आवेदनों के प्रबन्ध समिति के निर्णय हेतु प्रस्तुत करें, जिन पर प्रबन्ध समिति द्वारा अधिनियमों, नियमों एवं उपविधियों के अधीन स्वीकृत/अस्वीकृत करने सम्बन्धी निर्णय लेगी।

6.2 प्रबन्ध समिति को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्तानुसार पूर्ण आवेदन को स्वीकृत करें या उपविधियों/नियमों अनुसार अस्वीकृत करें। किन्तु यदि आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो प्रबन्ध समिति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह आवेदन पत्र की अस्वीकृति के 30 दिवसों के अंदर आवेदक को रजिस्टर्ड डाक से या व्यक्तिगत तामिली द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत होने के कारणों की लिखित जानकारी जिस पर संस्था के अध्यक्ष या प्रबन्धक हस्ताक्षर करेंगे, संसूचित करें, निर्णय की सूचना प्रबन्धक द्वारा भेजी जावेगी। आवेदन पत्र अस्वीकृत होने की स्थिति में सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर आवेदक प्रबंध समिति के निर्णय के विरूद्ध पंजीयक को अपील कर सकेगा।

6.3 संस्था द्वारा सदस्यता आवेदन पंजी तथा सदस्यता पंजी के रूप में दो पृथक-पृथक पंजिया रखी जावेगी। प्रथम पंजी में नवीन सदस्यता हेतु एवं सदस्यता समाप्ति हेतु प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन की प्रविष्टि की जावेगी तथा दूसरी पंजी (सदस्यता पंजी) में सदस्यता प्रदान करते ही सदस्य के सम्बन्ध में प्रविष्टियां अंकित की जावेंगी। इन दोनों पंजीयों में प्रविष्टयां क्रमानुसार ही की जावेगी और किसी भी स्थिति में इनका कोई अपवाद नहीं होगा।

6.4 सदस्य बनाए जाने के प्रार्थना पत्र के साथ प्रत्येक व्यक्ति को दस रूपए प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। यदि प्रार्थना पत्र स्वीकृत न हुआ तो प्रवेश शुल्क वापस कर दिया जावेगा।

6.5 नमांकन-प्रत्येक सदस्यों को रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होंगे और उसको अपना उत्तराधिकारी, मनोनीत करने का अधिकार होगा जिसको सदस्य के मरने पर उसकी यदि कोई रकम संस्था में जमा हो तो वह वापिस दी जा सकें, अथवा उसके नाम परिवर्तन की जा सके। उत्तराधिकारी की मनोनीतगी और बाद में उसमें परिवर्तन दो

साक्षियों के समक्ष लिखे जावेंगे।

6.6 उसको यह भी लिख कर देना होगा कि वह संस्था की उपविधियों के अंतर्गत बनाई हुई पोट उपविधियों का हो इन दोनों में जो संशोधन उसकी सदस्यता की अवधि में हो उनका पूर्णरूप से पालन करेगा।

उपविधि क्रमांक (7) सदस्य बने रहने के लिए निर्बन्ध एवं शर्तें : -

7.1 कोई भी महिला संस्था की सदस्य तब तक बनी रह सकेगी, जबकि :-

अ. उसे उपविधि/नियमों/अधिनियमों अनुरूप निष्कासित न कर दिया गया हो,

ब. उसके संस्था से त्यागपत्र को प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृत न कर लिया गया हो,

स. उसकी मृत्यु हो गई हो।

7.2 **सदस्यता जारी रखने के लिए अन्य मुख्य शर्ते निम्नानुसार हैं :-**

अ. संस्था की प्रबन्ध समिति अथवा पंजीयक द्वारा विधि अनुसार दिए निर्देशों के अनुसार

कार्यवाही करना आवश्यक है।

ब. संस्था के गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें।

स. संस्था को अपनी गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित करने में मदद प्रदान करें।

द. संस्था से प्राप्त लोन/अमानतों की राशियां समय पर लौटाती रहे।

उपविधि क्रमांक (8) सम्भावित सदस्यों के लिए समय-सीमा :-

8.1 ऐसे सम्भावित सदस्य जिनका सदस्यता आवेदन-पत्र प्रबंध समिति द्वारा अस्वीकृत किए जाने से सदस्यता हेतु अपील पंजीयक के पास विचाराधीन होगी, अधिकतम एक माह में निर्णय संभावित सदस्य के पक्ष में होने के दिनांक से सदस्यता हेतु आवश्यक प्रवेश शुल्क, अंशराशि एवं आवेदन पत्र संस्था में जमा कराएगी। तभी वह सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं एवं अधिकारों की पात्र होगी।

उपविधि क्रमांक (9) सदस्यता वापस लेने/अंतरण के लिए प्रक्रिया :-

9.1 संस्था की कोई भी सदस्य लिखित में आवेदन देकर उसकी सदस्यता वापसी हेतु निवेदन कर सकेगी, किन्तु ऐसे त्याग पत्र के साथ सदस्य का शपथ पत्र, जिसमें उसके द्वारा त्याग पत्र दिए जाने के कारणों का उल्लेख होगा, संलग्न करना आवश्यक होगा। त्याग पत्र बाबत् आवेदन संस्था के अध्यक्ष को सम्बोधित होगा और अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में प्रबन्धक को सौंपा जा सकेगा। संस्था की प्रबन्ध समिति ऐसे सभी आवेदनों पर विचार कर अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा त्यागपत्र स्वीकार/ अस्वीकार कर सकेगी। यदि त्याग पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो उसके कारण

अभिलिखित करने अनिवार्य होंगे।

9.2 किसी भी सदस्य को अपने सदस्यता अंश राशि या हित किसी अन्य के हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक उसके द्वारा ऐसा अंश या हित कम से कम एक वर्ष तक धारण न कर चुका हो तथा ऐसा अंतरण उस संस्था को या उसके किसी सदस्य को न किया जाए एवं वह अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए हस्तांतरण हेतु आवेदन के साथ रूपए 10.00 का हस्तांतरण शुल्क जमा करते हुए अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए आवेदन अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में प्रबन्धक को प्रदान किया जा सकता है। जो ऐसे सभी आवेदनों को प्रबन्ध समिति के निर्णय हेतु उसकी आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी। जब तक सदस्यता अंश का हस्तांतरण संस्था के रजिस्टरों में नहीं लिखा जाता, उस समय तक, जिसके नाम से हस्तांतरण होगा, उसका कोई अधिकार समिति के विरूद्ध नहीं होगा, न ही उसका परिणाम उस विवाद पर होगा, जो संस्था ने अंश हस्तांतरण करने वाले सदस्य पर किया हो। प्रबन्ध समिति द्वारा हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान करने के अधिकतम 15 दिवस में हस्तांतरण सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाहियां समिति द्वारा की जावेगी।

उपविधि क्रमांक (10) सदस्यता से हटाने की प्रक्रिया :-

कोई सदस्य तदाशय हेतु आमंत्रित प्रबन्ध समिति की बैठक में उपस्थित एवं मत दान की पात्रता रखने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा निम्नलिखित कारणों में से किन्हीं कारणों से सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा :-

10.1 कोई ऐसा कार्य, जिससे कि संस्था की साख को क्षति पहुंचने की सम्भावना हो, या जिससे उनकी कुख्याति होने की सम्भावना हो, आशय करती है, या

10.2 मिथ्या कथन द्वारा संस्था को जानबूझकर धोखा देती है।

10.3 कोई ऐसा कारोबार करती है, जिससे यह सम्भावना हो कि वह सोसाइटी द्वारा किए जाने वाले कारोबार की प्रतिद्वंदिता में आता हो, या

10.4 अपने द्वारा देय धन का भुगतान करने में बार-बार व्यक्तिक्रम करती है या उपविधियों के किन्हीं भी उपबंधों का अनुपालन करने में चूक करती है,

10.5 यदि कोई संस्था के गठन के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करती हो, या समिति को अपना उत्पादन चाहे जाने पर विपणन हेतु उपलब्ध नहीं कराती है, या

10.6 यदि उसने सदस्य बनने के बाद, सदस्यों हेतु आवश्यक अहर्ताओं में से किसी एक को भी खो दिया हो परन्तु कोई भी ऐसा संकल्प तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि सम्बन्धित सदस्य को उसे निष्कासित करने सम्बन्धी प्रस्थापना को

सात दिन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक से न दे दी गई हो और जब तक कि उसे अपने मामले के सम्बन्ध में समिति के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया हो।

उपविधि क्रमांक (11) सदस्यता की समाप्ति की प्रक्रिया :-

निम्नलिखित में से किसी एक भी कारण से किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जावेगी:-

11.1 मृत्यु हो जाने पर।

11.2 स्थायी रूप से विक्षिप्त हो जाने पर।

11.3 उपविधि क्रमांक-09 के अनुसार त्यागपत्र स्वीकृत होने पर।

11.4 उसके द्वारा धारित अंश किसी और को स्थानांतरित हो जाने पर।

11.5 उपविधि क्रमांक-10 के अनुसार निष्कासित किए जाने पर।

11.6 किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर संस्था देय राशि का भुगतान सदस्य पर बकाया के समायोजन के बाद एक वर्ष की अवधि में कर देगी।

11.7 सदस्य की मृत्यु की दशा में संस्था में उसके अंशों या जमा राशि में से उससे वसूली योग्य राशि कम करके शेष राशि उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति या नामांकन के अभाव में प्रबन्ध समिति के निर्णय अनुसार ऐसे व्यक्ति को, जो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के रूप में उक्त राशि प्राप्त करने का अधिकार हो, को इण्डोगिनिटा बाण्ड भरने पर भुगतान की जावेगी।

उपविधि क्रमांक (12) सदस्यों के अधिकार :-

संस्था के प्रत्येक सदस्य को निम्न अधिकार रहेंगे :-

12.1 संस्था द्वारा सदस्यों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार।

12.2 सदस्यता से निष्कासन की स्थिति में पंजीयक को अधिनियमों/नियमों द्वारा निर्धारित समयावधि में अपील का अधिकार।

12.3 अपने में से संस्था की प्रबन्ध समिति के सदस्य को मत देकर चुनने का अधिकार।

12.4 उपविधियों/नियमों/अधिनियमों अनुसार संस्था की आमसभा में भाग लेकर मतदान का अधिकार।

12.5 संस्था की गतिविधियों को एवं उसकी प्रगति के बारे में जानकारी अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक को लिखित आवेदन देकर प्राप्त करने का अधिकार।

12.6 संस्था के किसी भी कर्मचारी द्वारा अनियमितताएं की जा रही हैं, स्पष्ट रूप से पाए जाने या सिद्ध होने पर उसकी सूचना अध्यक्ष या प्रबन्धकों को देने का अधिकार।

12.7 संस्था के किसी सदस्य द्वारा संस्था के गठन के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करने पर उसकी सूचना संस्था के अध्यक्ष को देने का अधिकार।

12.8 सदस्यता से त्यागपत्र देकर अपनी अंश राशि वापस प्राप्त करने का अधिकार सदस्यों को होगा। सदस्य की आरे बकाया राशि किसी भी प्रकार की राशि या लोन की राशि घटाकर वह शेष बची राशि संस्था से प्राप्त कर सकेगा।

12.9 नमांकन का अधिकार।

12.10 संस्था के अन्य सदस्यों अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसे सदस्य बनाए जाने की स्वीकृति संस्था द्वारा प्रदान की जा चुकी है, को अपना अंश हस्तांतरण कर सकने का अधिकार।

उपविधि क्रमांक (13) सदस्यता के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्रता बनाए रखने के लिए सदस्यों की न्यूनतम प्रतिबद्धताएं :-

संस्था के प्रत्येक सदस्य को सदस्यता बनाए रखने की पात्रता धारण करने के लिए निम्न कृत्य आवश्यक होंगे :-

13.1 संस्था के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जा रहे कार्यो/कार्यवाहियों के संचालन में संस्था के पराधिकारियों/अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

13.2 संस्था के सदस्य होने के लिए आवश्यक अनिवार्यताएं बनाए रखना।

13.3 संस्था के हितों के विरूद्ध कार्य न करना।

13.4 संस्था के व्यवसाय के समान ऐसा व्यवसाय प्रारम्भ न करना जिससे संस्था के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

13.5 संस्था द्वारा उसे जिन शर्तो पर सेवाएं/लोन आदि प्रदान किया गया हो उनका पालन करना।

13.6 संस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु उसके पदाधिकारियों/अधिकारियों द्वारा दिए गए विधि सम्मत निर्देशों का पालन करना।

13.7 संस्था के पक्ष में उसकी देयताओं को समय पर पूर्ण करना।

उपविधि क्रमांक (14) सदस्य द्वारा शोध्य किसी रकम के संदाय मे व्यतिक्रम का परिणाम :-

किसी सदस्य द्वारा संस्था से शोध्य किसी रकम के संदाय में व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप निम्नबिन्दु प्रभावशील होंगे :-

14.1 यदि व्यतिक्रम (डिफाल्टर) की अवधि 12 माह से अधिक होगी तब सदस्य अपने मत का प्रयोग, प्रबन्ध समिति (यदि वह प्रबन्ध समिति में पदाधिकारी/सदस्य के रूप में

कार्यरत है) अथवा आमसभा/विशेष आमसभा या संस्था के कार्यो सम्बन्धी बैठक, में करने के लिए सुयोग्य नहीं रहेगा अर्थात् अयोग्य हो जावेगा तथा न ही प्रबन्ध समिति का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र रह सकेगा।

14.2 यदि व्यतिक्रम की अवधि 2 वर्ष से अधिक हो जाती है तथा सदस्य संस्था को रकम जमा करने की अवधि बढ़ाने का कोई तथ्यपूर्ण व प्रेक्टीकल प्रस्ताव नहीं करता है, तब संस्था अधिनियमों अथवा नियमों अनुसार रकम वसूल करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगी।

14.3 व्यतिक्रम के अवधि 2 वर्ष से अधिक हो जाने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त किए जाने का प्रस्ताव प्रबन्ध समिति में विचार हेतु रखा जाकर निर्णय लिया जा सकेगा, परन्तु ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पूर्व सदस्य को सुने जाने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक (15) सदस्यों का अंश :-

15.1 प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक अंश लेना आवश्यक होगा। कोई सदस्य उस समय तक बिके हुए अंशों की वसूल आई हुई रकम के 1/5 या 20,000.00 रूपये जो भी कम हो मूल्य के अंश ले सकेगा। यदि किसी मृत सदस्य का उत्तराधिकारी होने से अथवा अन्य किसी कारण से किसी के पास इस सीमा से अधिक मूल्य के अंश हो जावें तो प्रबन्धकारिणी समिति को अधिकार होगा कि अधिक अंश लेने वालों को बेच दे लेकिन उपरोक्त सीमा राज्य शासन द्वारा लिए गए अंश पूंजी के लिए लागू नहीं होगी।

15.2 एक अंश का मूल्य रूपए एक सौ होगा और सदस्य को लिए गए अंशों का पूरा मूल्य एक साथ जमा करना होगा।

उपविधि क्रमांक (16) अंश प्रमाण पत्र व हस्तांतरण :-

16.1 एक अंश प्रमाण पत्र लिए हुए अंश अथवा अंशों के लिए दिया जावेगा जिस पर संस्था के अध्यक्ष तथा प्रबन्धक के हस्ताक्षर होंगे और संस्था की मुद्रा लगाई जावेगी। कोई सदस्य अंश को कम से कम एक वर्ष रखने के बाद प्रबन्धकारिणी समिति की स्वीकृति मे किसी दूसरे सदस्य को अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसे सदस्य बनना समिति ने स्वीकृत किया हो, हस्तांतरण कर सकता है।

16.2 किसी भी हिस्से की बिक्री, उपहार, बन्धक या अन्य किसी प्रकार से तब तक हस्तांतरण नहीं किया जावेगा जब तक कि उसकी पूरी रकम प्राप्त न हो जाए और हिस्से लेने के सम्बन्ध में उपविधि में निर्धारित अधिकतम सीमा सम्बन्धी शर्तें पूरी न की जाएं।

16.3 यदि किसी सदस्य के पास दान स्वरूप या अन्य किसी प्रकार से उपविधि के अनुरूप अधिकतम संख्या से अधिक हिस्से हो जाएं तो प्रबन्ध समिति की यह शक्ति होगी कि वह इन अतिरिक्त हिस्सों को बेचने या संस्था की ओर से इन्हें खरीद लें और इससे प्राप्त रकम को उस सदस्य के नाम से जमा कर लें।

उपविधि क्रमांक (17) अंशों की वापिसी :-

17.1 उस सदस्य को जिसका सम्बन्ध संस्था की उपविधि 10-11 के अनुसार टूट गया हो उसके अंश के उस समय के मूल्य के समान उतनी रकम सहकारी सोसायटी नियमों के अनुसार प्रबन्धकारिणी समिति निश्चित करे तथा उनके जमा की हुई रकम से अधिक न हो, छः मास के भीतर वापिस दी जावेगी।

उपविधि क्रमांक (18) सदस्य का दायित्व :-

18.1 उस ऋण तथा अन्य देने के लिए जो संस्था पर हो सदस्यों का दायित्व समय-समय पर आमसभा द्वारा निर्धारित सीमा तक सीमित होगा तथा राज्य शासन या नाममात्र सदस्यों का दायित्व खरीदे हिस्सों के मूल्य तक रहेगा।

18.2 पिछले सदस्यों का दायित्व उस ऋण तथा अन्य देने के लिए जो संस्था पर उसके अलग होने के समय हो उसके अलग होने से दो वर्ष तक रहेगा। ऐसा दायित्व नाममात्र सदस्यों व राज्य शासन पर न होगा।

18.3 मरे हुए सदस्य सम्पत्ति ऋण तथा अन्य देने के लिए जो उसके मरने की तारीख को संस्था पर हो सदस्य के मरने की तारीख से दो वर्ष तक उत्तरदायी होंगे।

उपविधि क्रमांक (19) पूंजी व निधियां :-

19.1 पूंजी निम्नलिखित साधनों से एकत्रित की जावेगी :-

1. प्रवेश शुल्क द्वारा।
2. अंश निर्वहन द्वारा।
3. अमानतें जमा कराके या अग्रिम धन लेकर।
4. ऋण लेकर।
5. अनुदान आदि लेकर और
6. लाभ में से रक्षित निधि बनाकर आदि।

19.2 पंजीयक की स्वीकृति के बिना ऋण तथा अमानत की रकम अंश की वसूल की हुई रकम तथा रक्षित निधि के 10 गुने से अधिक नहीं होगी। संस्था की पूंजी उपविधि 3 में उल्लेखित कामों में लगाई जावेगी।

19.3 सदस्यों से ऋण और जमा रकमें उस सीमा और उन शर्तो के अधीन ली जावेंगी जो

पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा निर्धारित की जावें इस ऋण में वह रकम नहीं होगी जो कच्चा माल या उत्पादित माल को रहन रखकर बैंकों से उधार ली है।

19.4 संस्था राज्य सरकार, राज्य शासन में कार्य कर रहे किसी विधि के अधीन बैंक, वित्तीय निगमों, निगमित निकायों और व्यक्तियों से निक्षेप व उधार प्राप्त कर सकेगी। नाममात्र ही सदस्यता प्रदान कर विशिष्ट करार या अनुमोदित परियोजना के अधीन अंशपूंजी के रूप में निधि भी प्राप्त कर सकेगी तथा किसी अन्य सोयायटी या नाममात्र के सदस्य को उधार दे सकेगी।

उपविधि क्रमांक (20) निधियों का प्रयोग :

संस्था की निधियों का प्रयोग संस्था के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक एवं संबंधित गतिविधियां संचालित करने में सामान्यत: किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक (21) निक्षेप, ऋण-पत्र एवं अन्य निधियाँ : सीमा व शर्ते :-

संस्था अपनी प्रदत्त अंशपूंजी तथा रक्षित निधि में से संचित हानि को घटाने के बाद बची राशि से अधिकतम 10 गुना तक निक्षेप, ऋण, ऋण पत्रों के माध्यम से निधियाँ सदस्यों/असदस्यों/वित्तीय संस्थानों/शासन से प्राप्त कर सकेगी। जिनके लिये शर्ते प्रबंध समिति द्वारा आमसभा में अनुमोदन उपरांत तय की जावेगी। संस्था द्वारा लोन एवं अमानतों के लिये अलग से पंजी रखी जावेगी जिसमें आवश्यक प्रविशिष्टियाँ होंगी तथा इसकी जानकारी आमसभा में भी सदस्यों को दी जावेगी।

उपविधि क्रमांक (22) राज्य सहायता एवं वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्रयोजन व शर्ते :-

संस्था समय-समय पर विभिन्न शासकीय/अशासकीय योजनाओं के माध्यम से उपलब्धता अनुसार सहायता (ग्रांट आदि) प्राप्त कर सकेगी, इस प्रकार से प्राप्त निधियों का उपयोग संस्था के गठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक एवं संबंधित गतिविधियों के संचालन में किया जावेगा। प्रबंध समिति द्वारा इस संबंध में आवश्यक शर्तो का निर्धारण किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक (23) लाभ अथवा अधि-शेष का व्ययन :-

आम सभा की स्वीकृति से शुद्ध लाभ (नेट प्राफिट) का वितरण निम्नानुसार किया जावेगा :-

23.1 कम से कम 25 प्रतिशत राशि रक्षित निधि में स्थानांतरित की जावेगी।

23.2 शेष राशि में से 50 प्रतिशत तक लाभांश का वितरण अंशधारियों को आमसभा से अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा।

23.3 शेष धन में से संस्था के कर्मचारियों को बोनस एक्ट 1965 के प्रावधानों अनुसार बोनस।

23.4 बाकी रकम रक्षित निधि में या संस्था के सदस्यों के लिये सामाजिक मनोरंजन/शैक्षणिक कार्यों हेतु उपयोग या इस हेतु निर्मित निधि में जमा की जावेगी।

नोट :- हस्तांतरित किए हुए अंशों का लाभांश उन सदस्यों को दिया जावेगा जिनके नाम पिछले वर्ष के अंतिम दिवस पर रजिस्टर में अंकित हो।

उपविधि क्रमांक (24) कोषों का गठन और उनका प्रयोजन :-

संस्था अपने गठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सदस्यों/असदस्यों आदि के उत्थान एवं कल्याण के लिये कल्याण कोषों का गठन कर सकेगी। इस हेतु राशि उपविधि क्रमांक 23 (4) में दिये अनुसार उपयोग की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक (25) साधारण/विशेष आमसभा को बुलाने की रीति व गणपूर्ति :-

25.1 संस्था के कारोबार के संबंध में साधारण सभा को पूर्ण अधिकार होंगे, वार्षिक आमसभा की बैठक प्रतिवर्ष सहकारी वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अन्दर आहूत की जावेगी। इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यक हो संचालक मंडल के प्रस्ताव अथवा संस्था के कम से कम 1/10 सदस्यों के लिखित प्रार्थना पत्र पर जिसमें आमसभा के उद्देश्यों हो अथवा पंजीयक के आदेश पर विशेष आमसभा की बैठक एक माह के अन्दर बुलाई जावेगी। संस्था के पंजीयन के पश्चात सदस्यों की जो प्रथम आमसभा होगी उसको भी वही अधिकार होंगे जो इन उपविधियों में वार्षिक आमसभा को दिये गये।

25.2 **बैठक की सूचना :-** आमसभा की कार्य सूची दिनांक, समय तथा स्थान की सूचना प्रत्येक सदस्य को 14 स्पष्ट दिवस पूर्व दी जावेगी, उपविधियों में संशोधन की स्थिति में प्रस्तावित संशोधन की रूपरेखा सूचना के साथ प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। आमसभा/विशेष आमसभा की सूचना निम्न प्रकार से दी जावेगी -

(1) डाक प्रमाण पत्र के अधीन साधारण डाक से या व्यक्तिश: प्राप्त करके, यदि संस्था की सदस्य संख्या 250 से कम हो, या

(2) डाक प्रमाण पत्र के अधीन साधारण डाक से यदि संस्था की सदस्य संख्या 250 से अधिक हो और ऐसे मामलों में सूचना संस्था के क्षेत्र में प्रसारित स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्र में भी प्रकाशित करायी जावेगी। परन्तु जब जिले में संस्थाओं के किसी वर्ग का साधारण सम्मेलन या विशेष साधारण सम्मेलन उसी दिन होना हो तो ऐसी सूचना संबंधित संस्था द्वारा प्रत्येक सदस्य को डाक प्रमाण पत्र के अधीन भेजी जायेगी साथ ही ऐसी समस्त संस्थाओं की ओर से पंजीयक के प्राधिकार के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में एक सूचना का प्रकाशन किया जाना पर्याप्त होगा।

(3) 14 स्पष्ट दिवस पूर्व पंजीकृत डाक से जारी की गई सूचना समय पर तामिल न होने के

कारण बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

25.3 गणपूर्ति/कोरम – आमसभा या विशेष आमसभा की बैठक के लिये गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होगा। आमसभा या विशेष आमसभा की सूचना जारी करने के दिनांक को संस्था की कुल सदस्य संख्या का 1/10 अथवा 50 सदस्यों में से जो भी कम हो गणमूर्ति के लिये आवश्यक होगा यदि बैंठक के लिये नियम समय के आधा घंटे भीतर गणमूर्ति न हो तो, बैठक जब तक कि बैठक बुलाए जाने के सूचना पत्र में अन्यथा उल्लेखित न हो, अध्यक्ष द्वारा ऐसी तारीख, ऐसे समय और स्थान के लिये स्थगित कर दी जायेगी जैसा कि वह घोषित करे और स्थितिगत बैंठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी और स्थितिगत बैंठक के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी और स्थागति बैठक में सदस्यों को सूचना के साथ परिचालित की गई कार्यसूची के विषयों पर ही चर्चा की जावेगी। परन्तु आमसभा/विशेष आमसभा की बैठक जो धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन सदस्यों की अध्यपेक्षा पर बुलाई गई थी, स्थगित नहीं की जावेगी किन्तु विघटित कर दी जावेगी।

उपविधि क्रमांक (26) साधारण सम्मेलनों की आवृत्ति :-

वार्षिक आमसभा की बैठक प्रति वर्ष सहकारी वर्ष की समाप्ति के 3 माह के अंदर आहूत की जावेगी। इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यक हो संचालक मंडल के प्रस्ताव अथवा संस्था के कम से कम 1/10 सदस्यों के लिखित प्रार्थना पत्र पर जिसमें आमसभा बुलाने की मांग की गई है अथवा पंजीयक के आदेश पर विशेष आमसभा की बैठक एक माह के अंदर बुलाई जा सकती है।

उपविधि क्रमांक (27) साधारण सभा में मताधिकार :-

व्यापक सम्मेलन (साधारण सभा) में प्रत्येक उपस्थित सदस्य को उसके कितने ही अंश क्यों न हो केवल एक मत देने का अधिकार होगा। कोई सदस्य अपने प्रतिनिधि द्वारा मतदान नहीं कर सकेगा। उन मामलों के अतिरिक्त जिनके निर्णय के लिये मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम उसके अन्तर्गत नियम .... में विशेष बहुमत से होगा दोनों पक्षों में समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपना एक और निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। संस्था की प्रबंध समिति का चुनाव अधिनियम एवं नियमों के प्रावधान अनुसार होगा, परन्तु चुनाव के अतिरिक्त सामान्य विषयों में मतगणना हाथ उठाकर अथवा उसी पद्धति से जो सभा के अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जावे, संपन्न होगी।

उपविधि क्रमांक (28) साधारण सभा के विषय :-

व्यापक सम्मेलन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत से कोई सदस्य कार्य सूची में नकिया हुआ प्रश्न प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा प्रश्न किसी सदस्य के निकाले जाने अथवा निकाले हुए सदस्यों को फिर से भर्ती करने अथवा इन उपविधियों में संशोधन करने के संबंध में अथवा ब्याज व पारिश्रामिक की दरों में घट बढ़ करने के बारे में नहीं होगा।

उपविधि क्रमांक (29) साधारण सभा की अध्यक्षता :-

संस्था की अध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यदि दोनों उपस्थित न हों तो संस्था के अन्य सदस्यों में से जिसको उपस्थित सदस्य निर्वाचित करें साधारण/विशेष साधारण सभा की अध्यक्षता करेगी।

परन्तु ऐसी स्थिति में जबकि अधिनियम की धारा 49 (8) के तहत पंजीयक द्वारा संस्था का कार्यभार संभाल लिया गया हो, अथवा धारा 53 (13) के तहत निर्वाचित प्रबंध समिति के स्थान पर नामांकित समिति गठित की गई हो, साधारण सभा की अध्यक्षता पंजीयक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी।

उपविधि क्रमांक (30) आमसभा के कर्तव्य एवं अधिकार विषय :-

वार्षिक आमसभा में उन कार्यो के अतिरिक्त जो इन उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत हों निम्नलिखित कार्य होंगे :-

30.1 इन उपविधियों के अनुसार संचालक मंडल/प्रबंध समिति के सदस्यों का चुनाव कराना।

30.2 वार्षिक पत्रक और उनसे संबंधित सम्पत्ति की रिपोर्ट पर विचार करना।

30.3 लाभ का वितरण स्वीकृत करना।

30.4 संस्था का वार्षिक बजट स्वीकृत करना।

30.5 यह निश्चित करना कि अमानतें/लोन, कितना किस अवधि के लिये और किस ब्याज दर पर लिया जाय।

30.6 संस्था के आडिट तथा निरीक्षण टीप पर समिति द्वारा की गई कार्यवाही पर विचार करते हुए आवश्यकतानुसार उचित निर्देश देना।

30.7 संस्था के कार्य संचालन के लिए उपविधियों में आवश्यक संशोधन पर विचार करना।

30.8 संचालक मंडल के सदस्यों पर बकाया लोन व अन्य अग्रिम की जानकारी से अवगत कराना/होना।

30.9 अन्य बातों पर विचार करना जो संचालक मंडल या सदस्यों की ओर से प्रस्तुत किए जावें।

30.10 गत आमसभा की कार्यवाहियों की पुष्टि करना।

उपविधि क्रमांक (31) उपविधि के बनाने/संशोधन करने की रीति :-

संस्था के गठन के समय प्रस्तुत उपविधियाँ उप पंजीयक कार्यालय से अनुमोदन उपरांत लागू होंगी। तदुपरान्त सिवाय आमसभा अथवा विशेष आमसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत के इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का संशोधन नहीं हो सकेगा। सम्मेलन/सभा बुलाने के सूचना पत्र में प्रस्तावित संशोधन लिखा जावेगा, और सूचना पत्र कम से कम 14 दिन पहले दिया जावेगा ऐसा संशोधन इस समय तक व्यवस्था में न आ सकेगा जब तक कि पंजीयक उसको स्वीकृत कर उसका पंजीयन न कर लें।

उपविधि क्रमांक (32) निर्वाचन संचालन की प्रक्रिया :-

संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, सहकारी बैंक अथवा अन्य संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने हेतु सदस्यों के चुनाव का संचालन पंजीयक द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 तथा उसमें समय-समय पर हुए संशोधन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार होगा।

उपविधि क्रमांक (33) चुनाव संचालन की प्रक्रिया यदि रजिस्ट्रार चुनाव कराने में असफल रहता है :-

यदि पंजीयक संस्था के चुनाव संचालन का कार्य करने में असफल रहता है तो संस्था का संचालक मंडल संस्था के सदस्यों में से किसी योग्य सदस्य को चुनाव संचालन की जिम्मेदारी सौंप सकेगा।

उपविधि क्रमांक (34) प्रबंध समिति/संचालक मंडल का गठन :-

34.1 संस्था का कार्य संचालन प्रबंध समिति/संचालक मंडल के द्वारा किया जावेगा, इसमें कुल 14 सदस्य होंगे, जिनमें से 11 सदस्यों का निर्वाचन पंजीयक द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा आमसभा में किया जावेगा। उक्त 11 सदस्यों के अतिरिक्त तीन मनोनीत सदस्य होंगे जिनमें से एक सदस्य पंजीयक का प्रतिनिधि एक सदस्य वित्तदायी संस्था द्वारा एवं एक सदस्य क्षेत्रीय पंचायत द्वारा मनोनीत महिला प्रतिनिधि होगा। परन्तु यह और भी कि पंचायत द्वारा महिला संचालक का मनोनयन तभी किया जा सकेगा, जब संबंधित पंचायत द्वारा संस्था को भूमि/भवन अथवा अन्य कोई आर्थिक सहायता दी गयी हो।

34.2 संस्था की प्रबंध समिति/संचालक मंडल में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष रहेगा।

34.3 संस्था की प्रबंध समिति में निम्नानुसार स्थान आरक्षित होगें :-

(एक) यदि आधे या आधे से अधिक सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के हैं, तो कम से कम आधे स्थान ऐसी जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिये ऐसे अनुपात में आरक्षित रखे जायेंगे जो विहित किया जाए।

(दो) यदि एक चौथाई या एक चौथाई से अधिक किन्तु आधे से कम सदस्य अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के हैं, तो तीन स्थान ऐसी जातियों, जन जातियों एवं पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे, जिनमें से प्रत्येक एक स्थान प्रत्येक वर्ग के लिये आरक्षित रखा जायेगा।

(तीन) यदि अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों की संख्या संस्था के सदस्यों की कुल संख्या के एक चौथाई से कम है तो एक स्थान ऐसी अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्यों के लिये आरक्षित रखा जावेगा जिसके सदस्य संस्था में अधिक संख्या में हो।

34.4 प्रतिनिधि का चुनाव :-

संस्था की प्रबंध समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के साथ-साथ अन्य सोसायटी जिसका कि वह सदस्य है, मैं संस्था की प्रतिनिधित्व करने के लिये प्रतिनिधि चुनेगी और ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि को संस्था के चुनाव होने तक वापिस नहीं बुला सकेगी।

34.5 यदि संस्था में आधे या आधे से अधिक सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के हो, वहां प्रतिनिधि भी ऐसी जातियों, जनजातियों के सदस्यों में से भेजा जायेगा।

34.6 जहां सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई सदस्य अन्य पिछड़े वर्गो के हैं, वहां ऐसा प्रतिनिधि ऐसे वर्गो के सदस्यों में से होगा।

34.7 आरक्षित स्थान निर्वाचन द्वारा न भरे जाने की स्थिति में प्रबंध समिति/संचालक मंडल के निर्वाचित सदस्य सहयोजन के लिये आयोजित बैठक में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वर्ग के सदस्यों में से सहयोजन के द्वारा करेंगे, जिसके लिये स्थान आरक्षित है। कोरम के अभाव में सहयोजन नहीं किया जावेगा। आरक्षित स्थान निर्वाचन या सहयोजन द्वारा न भरे जाने की दशा में पंजीयक उसी वर्ग के सदस्यों में से, जिसके लिये वह स्थान आरक्षित है, नामांकन के द्वारा पूर्ति करेंगे। प्रबंध समिति/संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन होने पर प्रबंध समिति अपने सदस्यों में से अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेगी/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं सहयोजन के लिये आयोजित बैठक की अध्यक्षता उस निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी, जिसे पंजीयक निर्वाचन हेतु नियुक्त करें।

उपविधि क्रमांक (35) संचालक होने की पात्रता :-

किसी भी व्यक्ति में संचालक मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिये निम्न योग्यतायें होना आवश्यक है :-

35.1 निर्वाचन दिनांक 45 दिन पूर्व से संस्था की सदस्यता प्राप्त कर चुका हो तथा कम से कम एक अंश का स्वामी हो (प्रथम संचालक मंडल के गठन के लिये यह अनिवार्यता लागू होगी)।

35.2 वह संस्था में लाभ के पद पर न हो।

35.3 संस्था के व्यवसाय के समान ऐसा व्यवसाय न करता हो जिससे संस्था के हितों पर कुठाराघात होता है।

35.4 वह संस्था से लिये हुए किसी लोन या अग्रिम चुकाने में 12 माह से अधिक का डिफाल्टर न हो।

35.5 केन्द्र/राज्य सरकार या सहकारी संस्था की सेवा से बर्खास्त न किया गया हो।

35.6 छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अनुसार संचालक मंडल में पद धारण करने के लिये अयोग्य न हो।

35.7 दिवालिया या पागल न हो।

उपविधि क्रमांक (36) संचालक पद पर बने रहने की शर्तें :-

कोई भी महिला संचालक पद पर तब तक बनी रह सकती है :-

36.1 जब तक वह संचालक नियुक्त होने के लिये उपविधि क्रमांक-30, में लिखित अनिवार्य योग्यताएं पूर्ण करती हो।

36.2 जब तक कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुबंध करने योग्य हो।

36.3 जब तक उसे निर्वाचित होने के बाद में किसी अयोग्यता के धारण करने के कारण संचालक के पद से हटा न दिया गया हो।

उपविधि क्रमांक (37) प्रबंध समिति का कार्यकाल :-

37.1 प्रबंध समिति/संचालक मंडल के सदस्यों एवं पदाधिकारियों (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष) का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पांच वर्ष की अवधि की गणना संचालक मंडल की प्रथम बैठक जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो, के दिनांक से होगी। सामान्यत: संचालक मंडल का कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा, परन्तु उक्त अवधि के बीतने पर अगले संचालक मंडल का निर्वाचन किसी तकनीकी कारण से न हो पाने अथवा छ.ग. सहकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार संचालक मंडल के सदस्यों की अवधि उक्त सामान्य 5 वर्ष के अवधि से अधिक हो सकती है।

37.2 संस्था की प्रथम प्रबंध समिति तीन माह के लिये पंजीयक द्वारा नामांकित की जावेगी तथा समय-समय पर अधिकतम एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।

37.3 यदि प्रबंध समिति का कोई सदस्य समिति की तीन लगातार बैठकों में कोई ऐसा कारण बताये बिना जिसे समिति उचित समझे, अनुपस्थित रहे तो यह समझा जावेगा कि वह प्रबंध समिति का सदस्य नहीं रहा।

38 संचालकों के निष्कासन की प्रणाली एवं रिक्तता के लिये पूर्ति :-

(अ) समिति के किसी सदस्य या पदाधिकारी की अपात्रता की जानकारी ज्ञान में आने की तारीख से दो माह के भीतर उसे सुनवाई का युक्ति समय देने के पश्चात समिति उसे पद धारण करने के आयोग्य घोषित कर सकेगी। इस प्रकार रिक्त घोषित पद की सूचना समिति जिले के रजिटार को लिखित रूप में पारित आदेश के दिनांक से 7 दिन के अंदर सूचित करेगी।

(ब) यदि समिति के निर्वाचित सदस्यों में से आधे से अधिक सदस्य अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारियों को उल्लेखित कारण हटानें का संयुक्त आवेदन संस्था के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे आवेदन प्राप्ति के सात दिवस के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी आवेदन पर कार्यवाही हेतु उसे पंजीयक को भेजेगा। पंजीयक आवश्यक संतुष्टि के बाद किसी अधिकारी की नियुक्ति करेंगे जो संस्था की प्रबंध समिति की विशेष बैठक अध्यक्ष/अन्य पदाधिकारियों को हटानें बाबत बुलायेगा, जिसमें संचालक मंडल के कुल निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों के मत से अध्यक्ष/पदाधिकारी को सुने जाने के उपरांत हटाया जा सकेगा परन्तु यदि दो तिहाई सदस्य निर्वाचित अध्यक्ष/पदाधिकारी हटानें के पक्ष में मत नहीं देते हैं तो प्रस्ताव अस्वीकृत माना जावेगा। ऐसी बैठक की अध्यक्षता पंजीयक द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा की जावेगी।

परन्तु इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव ऐसे पदाधिकारी के निर्वाचन के 1 वर्ष के अंदर नहीं कराया जा सकेगा तथा इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव को पुन: लाने के लिये 1 वर्ष का अन्तराल आवश्यक होगा। समिति के कार्याकाल के छ: माह शेष रहने पर प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

(स) कंडिका क्रमांक अ एवं ब के अंतर्गत निष्कासित संचालक अथवा हटाये पदाधिकारी के रिक्त हुए पद की पूर्ति यथास्थिति सहयोजन/निर्वाचन द्वारा की जावेगी। सहयोजन/निर्वाचन हेतु विशेष रूप से आहूत बैठक की अध्यक्षता रजिस्टार द्वारा नियुक्त निर्वाचन

अधिकारी द्वारा की जावेगी। इसके लिये संस्था की समिति ठहराव करके निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति हेतु निवेदन करेगी जिस पर पंजीयक एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा।

उपविधि क्रमांक (38) (1) रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया :-

यदि किसी समय प्रबंध समिति में से किसी सदस्य/संचालक का पद संस्था द्वारा अन्य सहकारी संस्थाओं को भेजे गये प्रतिनिधि या संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद त्याग देने, देहावसान हो जाने या अन्यथा रिक्त हो जाता है तो ऐसे रिक्त पद की पूर्ति इस हेतु बुलाई गई बैठक में ही की जावेगी और ऐसी बैठक की अध्यक्षता पंजीयक के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी। इस हेतु बुलाई गई बैठक मे गणपूर्ति (कोरम) होना आवश्यक होगा।

उपविधि क्रमांक (39) संचालक मंडल के सम्मेलनों को बुलाने की रीति और उसकी गणपूर्ति (कोरम) :-

39.1 प्रबंध समिति/संचालक मंडल के सम्मेलन आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में व अधिकृत किये जाने पर उपाध्यक्ष द्वारा न्यूनतम एक सप्ताह का लिखित नोटिस देकर बुलाया जा सकेगा। ऐसे सूचना पत्र में सम्मेलन का दिनांक, स्थान, समय का स्पष्ट उल्लेख होगा। सूचना पत्र व्यक्तिश: तामिल कराया जावेगा या नामांकित व्यक्ति के कार्यालय पर व अशासकीय/सदस्य के निवास पर उसके साथ निवास करने वाले किसी संबंधित बालिग व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर छोड़ा जा सकेगा। बैठक के लिये निर्धारित स्थान पर निर्धारित समय के 30 मिनिट बीतने पद भी कोरम न हो तो, बैठक दूसरी अन्य तारीख, समय व स्थान के लिये स्थगित कर दी जावेगी जैसा सूचना पत्र में उल्लेखित हो, अन्यथा उपस्थित सदस्य निश्चित करें। परन्तु ऐसी बाद में होने वाली बैठक के लिये कोरम आवश्यक नहीं होगा।

39.2 आवश्यक परिस्थिति में जबकि कमेटी की बैठक बुलाने के लिये पर्याप्त समय न हो तो कमेटी के सदस्यों में कागजात धुमाकर आदेश प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कागजात धुमाकर लिये गये निर्णय को कमेटी की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ रखा जावेगा।

39.3 कोरम :- संचालक मंडल की बैठक के लिये कोरम 1/2, अथवा 6 सदस्य, जो भी अधिक हो, होगा।

उपविधि क्रमांक (40) संचालक मंडल के सम्मेलनों की आवृत्ति :-

प्रबंध समिति/संचालक मंडल की बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी परन्तु कम से कम तीन माह में एक बार बैठक बुलाई जावेगी। यदि प्रबंध समिति का कोई सदस्य

लगातार तीन बैठकों में संचालक मंडल की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो प्रबंध समिति उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रबंध समिति की सदस्यता से अलग कर सकती है। ऐसा अलग हुआ सदस्य फिर एक वर्ष तक प्रबंध समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकेगा। सब प्रस्तावों का निर्णय बहुमत से किया जायेगा। दोनों पक्षों में समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपना एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

उपविधि क्रमांक (41) प्रबंध समिति/संचालक मंडल के अधिकार एवं कर्तव्य :-

प्रबंधक समिति के निम्नानुसर अधिकार एवं कर्तव्य होंगे :-

41.1 उन प्रस्तावों का पालन करते हुए जो आमसभा समय-समय पर पारित करे, उसके तथा संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भूमि, भवन, वाहन या अचल/चल सम्पत्तियां मोल लेना, प्राप्त करना, पट्टे पर लेना, गिरवी रखना, किराए पर देना या अपने पास रखना, बेचना, बदलना, पट्टे पर देना व अन्य संबंधित कार्य करना, उक्त कार्य संचालक मंडल के अनुमोदन उपरान्त ही सम्पन्न किये जा सकेंगे।

41.2 संस्था के समस्त वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, उनको अधिकारों व कार्य आवंटित करना, दण्डित, पदोन्नत करना, उनसे आवश्यक प्रतिभूति लेना, उनकी योग्यताएं व सेवा शर्ते निर्धारित करना।

41.3 आमसभा द्वारा स्वीकृत बजट के अन्दर खर्च करना।

41.4 नए सदस्यों को सदस्यता प्रदान करना और उनके अंश स्वीकृत करना तथा सदस्यों के सदस्यता, अंश स्वीकृति या अंश वापिसी संबंधी प्रार्थना पत्रों पर विचार करना और उनका स्वीकृत या अस्वीकार करना।

41.5 संस्था के काम काज संबंधी शिकायतों की सूचना और उनका निराकरण करना।

41.6 संस्था की ओर से लोन लेना और यह तय करना कि लोन दस्तावेजों पर संस्था की ओर से कौन हस्ताक्षर करेगा।

41.7 सदस्यों के त्यागपत्र पर विचार कर स्वीकार करना और इसी प्रकार निष्कासन पर निर्णय लेना।

41.8 अमानते प्राप्त करना।

41.9 प्रबंधक के कार्यो की जांच करना और यह देखना कि संस्था के हिसाब के या अन्य रजिस्टर ठीक ढंग से रखे जाते हैं।

41.10 जो वैधानिक कार्यवाही या वाद संस्था की ओर से या उनके किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध संस्था के कारोबार के संबंध में हो उनमें पैरवी करना, समझौता करना या

वाद वापिस लेना तथा संस्था की ओर से पैरवी करने के लिये संस्था के किसी संचालक/कर्मचारी/या बाहरी वकील को अधिकृत करना।

41.11 पंजीयक एवं सहकारी अंकेक्षक को संस्था के निरीक्षण हेतु कागजात व रजिस्टर प्रस्तुत करना, उनके अंकेक्षण तथा निरीक्षण टीप का पालन करना, पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कराना तथा पालन प्रतिवेदन और उत्तरों को आमसभा में प्रस्तुत करना।

41.12 संस्था का वार्षिक आय व्यय पत्रक बनवाना और आगामी वर्ष के लिये आय व्यय का पत्रक बनाकर आमसभा में प्रस्तुत करना।

41.13. पंजीयक द्वारा अंकित अंकेक्षण शुल्क आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर शासकीय कोषालय में जमा करवाना।

41.14 संस्था की ओर से केन्द्रीय सहकारी बैंक के अंश क्रय करना, वापस करना और आवश्यक हस्ताक्षर करना।

41.15 अधिनियम की धारा 44 के अनुसार पूंजी का विनियोजन करना।

41.16 अधिनियम की धाराओं के अनुसार आमसभा/विशेष आमसभा की बैठक बुलाना।

41.17 संचालक मंडल के निर्वाचित सदस्यों में से अन्य संस्थाओं के लिये प्रतिनिधि का निर्वाचन कराना।

41.18 प्रत्येक सहकारी वर्ष 31 मार्च के अन्त में संस्था के वितीय पत्रक तैयार कर पंजीयक को प्रस्तुत कराना।

41.19 संचालक मंडल के सदस्यों के त्यागपत्र देने पर संचालक मंडल में उन पर विचार करना एवं इसी अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

41.20 संस्था के कारोबार के संचालन के संबंध में अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों को दृष्टिगत रखते हुए संचालक मंडल के अनुमोदन पर पूरक नियम बनाना और आमसभा से अनुमोदन के पश्चात उन पर कार्य करना।

41.21 सदस्यों को बेची गई वस्तुओं की कीमत बाजार में उतार चढ़ाव के साथ नियमित तथा, आपातकालीन स्थिति में वस्तुएं नियमित रूप से बेची जावें, ऐसी व्यवस्था करना।

41.22 प्रत्येक सहकारी वर्ष के अन्त में संस्था के सदस्यों की सूची तैयार कराकर प्रकाशित करवाना, जिसमें सदस्यों का वर्ग जैसे अनूसुचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व महिला का उल्लेख सदस्य के नाम के समक्ष दर्शाया जावेगा। ऐसी सूची संस्था के एवं वित्तदायी संस्था के कार्यालय के सूचना पटल पर लगाई जावेगी।

41.23 लोकहित में संस्था की गतिविधियों/विपणन सुविधाओं को नागरिकों को उपलब्ध कराना।

41.24 संस्था की उपविधियों में आवश्यकतानुसार संशोधन करवाना।

41.25 संस्था के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य सभी कार्यवाहियाँ कराना।

41.26 यह निश्चित करना कि कौन सी वस्तुए संस्था में मंगाई जावे, उनकी क्या कीमत चुकाई जावे एवं क्या अन्य खर्च चुकाया जावे। वस्तुओं के बीच की जांच करना, हिसाब के खाते चुकता करना तथा संस्था के हित में संबंधित समस्त व्यवहारों का पुनरीक्षण करना।

41.27 यह देखना कि संस्था के वेतन भोगी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से कर रहे हैं तथा संस्था की दुकानों का स्टॉक एवं सम्पत्ति ठीक प्रकार एवं ठीक दशा में रखी जाती है।

41.28 संस्था के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन करने के लिये कमेटी के सदस्यों में काम का विभाजन करना एवं संस्था के समस्त अथवा कुछ अधिकारियों को अपने समस्त अथवा कुछ अधिकार सौंपना।

41.29 कम से कम प्रत्येक माह में एक बार स्टॉक की जांच करना व गिनना तथा व्यापारिक माल (स्टॉक इन ट्रेड) आदि में क्षय (वेस्टेज) निर्धारित करना।

41.30 संस्था के प्रबंधक एवं अन्य कर्मचारियों से प्रतिभूति लेना जो पंजीयक द्वारा निर्धारित मान से कम न हो।

41.31 यह निश्चित करना कि संस्था के उन सदस्यों में से जो कि शासकीय अथवा स्थानीय संस्था के कर्मचारी हैं, सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत संस्था के पक्ष में अनुबंध पत्र निष्पादन करने के लिये राजी होने पर संस्था से माल उधार दिये जाने की अनुमति दी जावे, उनकी ऋण सीमा निर्धारित करना।

41.32 अन्य कर्तव्य तथा अधिकार अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों के अनुसार होंगे।

उपविधि क्रमांक 41 (ब)

प्रबंध समिति अपने अधिकारों में से कोई भी अधिकार (क्रमानुसार 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24 को छोड़कर) अध्यक्ष या प्रबंधक को सौंप सकेगी। किन्तु संचालक मंडल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत अध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा किए गए कार्यों का विवरण संचालक मंडल की बैठक में पुष्टि हेतु रखना आवश्यक होगा।

उपविधि क्रमांक 41 (स)

वह सब कार्यवाही जो कि संचालक मंडल की बैठक में प्रस्तुत हुई हो और जिसके संबंध में चर्चा या निर्णय हुआ हो, कार्यवाही पुस्तिका में लिखी जावेगी, कार्यवाही विवरण

प्रबंधक द्वारा लिखी जावेगी और उस पर अध्यक्ष तथा अन्य उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर बैठक के तत्काल बाद निर्णय/प्रस्ताव के विवरण के ठीक नीचे लिए जावेंगे। कार्यवाही पुस्तिका संस्था के प्रबंधक की अभिरक्षा में रहेगी।

उपविधि क्रमांक (42) प्रबंधक की शक्तियां एवं कृत्य :-

प्रबंधक संस्था की प्रबंध समिति व अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण पर काम करेगा। उसके कर्तव्य तथा अधिकार निम्नलिखित होंगे :-

42.1 पंजीयक के निर्देशों के अनुरूप संस्था में निर्धारित आवश्यक रजिस्टारों तथा कागजातों को व्यवस्थित और चालू रखना। संस्था के वेतन भोगी कर्मचारियें के काम की निगरानी करना एवं उनको मार्गदर्शन देना।

42.2 पावतियाँ, रसीदें, व्हाउचर्स, चैक, अन्य दस्तावेज तैयार करना व उन पर संचालक मंडल द्वारा अधिकृत व्यक्ति से हस्ताक्षर कराना।

42.3 संस्था की ओर सभी पत्र व्यवहारन करना। अध्यक्ष की सहमति से आमसभा, संचालक मंडल की बैठक बुलाना। संचालक मंडल के निर्णयों की उपविधियों के अनुसार सूचना देना।

42.4 आमसभा व संचालक मंडल की बैठक में उपस्थित रहना तथा उनकी कार्यवाही, कार्यवाही पुस्तिका में लिखना। कार्यवाही विवरण के नीचे उपस्थित सदस्यों (संचालक मंडल) के हस्ताक्षर कराना।

42.5 संस्था के व्यापारिक स्कन्ध की जांच करना एवं समय-समय पर भौतिक सत्यापन करना।

42.6 प्रबंध समिति की स्वीकृति के अनुसार आकस्मिक व्यय करना।

42.7 प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक गत वर्ष के आय-व्यय व वार्षिक पत्रक तैयार कराना और 31 मई तक उपविधियों/नियमों से निर्धारित अधिकारी को भेजना।

42.8 रजिस्टरों की प्रतिलिपियों को आवश्यकता पड़ने पर प्रकाशित करना।

42.9 आडिट या अन्य अधिकारियों की निरीक्षण टीप के उत्तर तैयार कर संचालक मंडल के समक्ष रखना।

42.10 बजट प्रावधानों के अनुसार संचालक मंडल द्वारा दिये गये अधिकारों अनुसार व्यय करना।

42.11 संस्था द्वारा एकत्रित या प्राप्त समस्त राशियाँ समिति के बैंक खातों में जमा कराना।

42.12 वे अन्य कार्य जो संचालक मंडल द्वारा सौंपे जाये।

उपविधि क्रमांक (43) (अध्यक्ष व प्रबंधक का दायित्व) :-

43.1 अध्यक्ष और वैतनिक प्रबंधक संस्था की नगद रकम या सम्पत्ति का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग करने और उसे हड़प लेने के लिए अथवा संस्था के कामकाज में हुई वित्तीय हानि के लिए उत्तदायी होंगे।

43.2 अध्यक्ष/वैतनिक/प्रबन्धक ऐसे विवरणों और विनियम ब्यौरों को नियमित रूप से भेजने के लिए उत्तरदायी होंगे जो पंजीयक शासन या सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जावें। वे लेखा परीक्षा निरीक्षण टीपों के संस्था को प्राप्त होने के तारीख से 45 दिन के अन्दर निकारण करेंगे।

उपविधि क्रमांक (44) सदस्यों के हितों के विरूद्ध कार्य करने के लिए और कर्मचारी के कर्तव्य पूरा न किए जाने के लिए शास्तियां :-

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 74 में उल्लेखित कृत्य जो कि अपराध की श्रेणी में आते हों, के लिए दोष सिद्ध पाए जाने पर धारा 75 के अनुसार शास्तियां आरोपित की जा सकती है। सम्बन्धितों को उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों को अस्वीकार/गलत सिद्ध किए जाने अथवा शास्ति के निर्णय के विरूद्ध अपील करने का अधिकार अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

उपविधि क्रमांक (45) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/कृत्य, लेखा परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया और लेखा परीक्षा के अनुपालन की समयसीमा :-

संस्था के आडिट संचालन हेतु पंजीयक म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।

उपविधि क्रमांक (46) संस्था की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और वाद दायर करने और वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाही में बचाव करने के लिए किसी अधिकार या अधिकरियों को प्राधिकार :-

संस्था द्वारा किए जाने वाले सामान्य पत्र व्यवहारों, जानकारी, प्रपत्रों पर प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षर किए जावेंगे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर समिति अध्यक्ष हस्ताक्षर कर सकेंगे। कानूनी वाद/अनुबंधी पर संचालक मंडल द्वारा नामांकित अधिकारी/सदस्य द्वारा कार्यवाहियां की जा सकेंगी।

उपविधि क्रमांक (47) :-

47.1 संस्था केन्द्रीय सहकारी अधिकोष में चालू बचत अमानत खाता खोल सकेगी। यदि ऐसा अधिकोष न हो तो कमेटी द्वारा स्वीकृत किसी अन्य अधिकोष में ऐसे खाता खोल सकती है। संस्था द्वारा प्राप्त की गई सभी रकमें उक्त खातों में जमा की जावेगी।

47.2 संस्था के आकस्मिक व्यय के लिए प्रबन्धक रूपए 500/- तक अपने पास रख सकेगा।

उपविधि क्रमांक (48) :-

48.1 बिक्री के समस्त व्यवहार सर्वथा नगदी में किए जावें तथा उधारी बिलकुल बन्द रहेगी किन्तु उस व्यक्ति को माल उधार दिया जा सकेगा जो शासन अथवा स्थानीय संस्था का कर्मचारी है तथा जिसे अधिनियम की धारा 42 ''क'' के अंतर्गत संस्था के पक्ष इस आशय का अनुबंध पत्र निष्पादित करने पर कि संस्था से लिखित मांग प्राप्त होने पर उसका नियोक्ता (एम्प्लायर) उसका मजदूरी अथवा उसके वेतन में से उतनी रकम जितनी की उक्त अनुबंध पत्र में निर्दिष्ट की गई है, काट सकेगा। कमेटी द्वारा उसकी निर्धारित ऋण सीमा तक संस्था से उधार लेने की अनुमति प्राप्त की गई है।

48.2 संस्था के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के आचरण अथवा वस्तुओं की कीमत शुद्धता तौल के सम्बन्ध में शिकायत कमेटी को की जावेगी, जो कि उनकी जांच कर निर्णय देगी।

48.3 संस्था में एक क्रय उप समिति होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे :-

1. संस्था की अध्यक्ष
2. उप/सहायक पंजीयक या उनका प्रतिनिधि सदस्य
3. प्रबन्धक संयोजक

इस समिति की बैठक माह में एक बार होगी। सामान्यत: आकस्मिकता उत्पन्न होने पर प्रबन्धक शासकीय व संस्थागत खरीदी के लिए निर्णय ले सकेंगे तथा उसका अनुमोदन क्रय उपसमिति में कराएंगे।

उपविधि क्रमांक (49) :-

साधारणतया सभी वस्तुएं संस्था के सदस्यों को बेची जावेगी परन्तु कमेटी को यह स्वतंत्रता होगी वह कि निम्न परिस्थितियों में सदस्यों को भी वस्तुएं बेच सकेंगे।

49.1 जब कभी किसी वस्तु के खराब होने से बचाने के लिए शीघ्र बिक्री की आवश्यकता हो तथा

49.2 जब कमेटी को यह प्रतीत हो कि किसी वस्तु का अतिरिक्त संग्रह (स्टाक) है तथा

49.3 जब कमेटी को यह प्रतीत हो अमुक वस्तु की बिक्री से संस्था को अत्याधिक लाभ होगा।

उपविधि क्रमांक (50) वे शर्तें जिन पर संस्था गैर सदस्यों से व्यवहार करेगी :-

सामान्यत: संस्था गैर सदस्यों से व्यवहार नहीं करेगी परन्तु लोकहित में संस्था उसके

पास उपलब्ध कृषि अथवा उद्यानिकी विकास सम्बन्धी जानकारिया या उत्पाद असदस्यों को भी उपलब्ध करा सकेगी।

उपविधि क्रमांक (51) वे शर्तें जिन पर सोसायटी अन्य सहकारी सोसायटियां से सहयुक्त हो सकेगी :-

संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ए/क अनुसार अन्य संस्थाओं से सहयुक्त हो सकेगी। इस बाबत आवश्यक व्यवसाय शर्ते समय-समय पर आवश्यकतानुसार संचालक मंडल या अधिकृत किए जाने पर अध्यक्ष द्वारा तय की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक (52) वे शर्तें जिन पर संस्था सहकारी संस्थाओं से भिन्न संगठानों से व्यवहार कर सकेगी :-

संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहकारी संस्थाओं से भिन्न संगठनों से व्यवहार कर सकेगी। इस बाबत आवश्यक प्रक्रिया व्यवहार की प्रकृति को देखते हुए संचालक मण्डल या अधिकृत किए जाने पर अध्यक्ष द्वारा तय की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक (53) अधिकार, यदि कोई हो जो सोसायटी किसी सोसायटी या अन्य परिसंघ को प्रदत्त कर सके और वे परिस्थितियां जिनके अधीन इन अधिकारों का प्रयोग संघ/संघों द्वारा किया जा सकेगा :-

संस्था किसी अन्य सहकारी संस्था अथवा परिसंघ को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के पालन में व्यावसायिक हितों बाबात अधिकार संचालक मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रदान कर सकेगी।

उपविधि क्रमांक (54) संस्था के लिए लेखा वर्ष :-

54.1 संस्था का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि का होगा।

उपविधि क्रमांक (55) सदस्य की मृत्यु की दशा में शेयरों तथा हित का नाम निर्देशित के नाम अंतरण :-

55.1 किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में उसकें शेयरों तथा हितों का अंतरण सम्बन्धी कार्यवाहियां छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 26 के अनुसार की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक (56) इसके क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के स्वसहायक समूहों का गठन और उनके लिए शिक्षा/प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना :-

56.1 संस्था का संचालक मण्डल आवश्यक समझने पर इसके क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के स्वसहायक समूहों के गठन में आवश्यक मागर्दशन व सहायता प्रदान कर सकेगा तथा उपविधि क्रमांक 21 अनुसार राशियां अधिशेष रहने पर वित्तीय सहायता प्रदान

कर उनके लिए शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर सकेगी।

उपविधि क्रमांक (57) अपील :-

57.1 संस्था के संचालक मण्डल/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा पारित/जारी किसी आदेश/निर्णय के विरूद्ध सम्बन्धित द्वारा आदेश/सूचना प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के अंदर पंजीयक के समक्ष पूर्ण विवरण/प्रमाणों के साथ अपील की जा सकेगी।

उपविधि क्रमांक (58) प्रबन्धक हेतु अनिवार्यताएं :-

58.1 संचालक मंडल संस्था हेतु एक प्रबन्धक नियुक्त करेगी। उसे वेतन, भत्ते पारिश्रमिक दिया जावेगा। संस्था के उद्देश्यों को देखते हुए संचालक मंडल, प्रबन्धक हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यतांए/कार्य अनुभव बाबत मार्गदर्शक निर्देश प्रदान कर सकेगा।

58.2 प्रबन्धक के पद पर केवल उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी जो :-

1. न्यूनतम स्नातक शिक्षा या समतुल्य शैक्षणिक योग्यताओं का धारक हो।
2. किसी अन्य सहकारी संस्था के संचालक मंडल का सदस्य न हो,
3. किस शाकसीय/सहकारी संस्था से हटाया/बर्खास्त न किया गया हो,
4. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में कार्य करने में मदद कर सके।
5. किसी नैतिक अद्योपतन के अपराध के लिए सजा न हुई हो,
6. दिवालिया घोषित न किया गया हो,
7. वैधानिक रूप से अनुबंध करने के लिए सक्षम हो,

उपविधि क्रमांक (59) अमानतें तथा ऋण लेना व ब्याज की दरें :-

59.1 प्रबन्ध समिति जमा रकम के तरीके को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से रकमें उधार लेने के लिए सक्षम होगी परन्तु इस प्रकार उधार रकम पर दी जाने वाली ब्याज की दरें किसी भी हालत में उस सहकारी केन्द्रीय बैंक अपने द्वारा दी गई रकम पर मिलने वाले ब्याज की दर से अधिक नहीं हो जिस क्षेत्र में यह संस्था आती है।

59.2 प्रबन्ध समिति अनुसूचित बैंकों, छ.ग. वित्त निगम या औद्योगिक विकास बैंक या सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अधिपोषित संस्थाओं से भी रकमें उधार लेने के लिए सक्षम होगी। परन्तु इस प्रकार उधार ली जाने वाली रकमों के लिए पंजीयक, सहकारी समितियों की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

उपविधि क्रमांक (60) वित्त प्रदायी बैंक व अन्य संस्थाओं से सम्बन्ध :-

60.1 यह संस्था जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बन्धित रहेगी जो उनकी आर्थिक सहायता देने वाली संस्था होगी।

60.2 जिला सहकारी संघ की भी यह संस्था सदस्य होगी।

60.3 यह संस्था छ.ग. में शीर्ष सहकारी संस्था से सम्बद्ध रहेगी तथा उसकी सदस्यता प्राप्त करेगी।

उपविधि क्रमांक (61) हिसाब के तथा अन्य रजिस्टर :-

61.1 हिसाब की पुस्तकें तथा अन्य रजिस्टर सहकारी सोसायटी अधिनियम/नियम तथा सहकारी संस्थाओं के पंजीयक की आज्ञा के अनुसार रखे जावेंगे, इनके अतिरिक्त संस्था जो रजिस्टर तथा पत्रक रखना आवश्यक समझे वे भी रखे जावेंगे।

61.2 सामान्यत: निम्नलिखित रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा :-

1. रोकड़ बही, 2. खाता बही, 3. व्यक्तिगत खाता-बही, 4. सदस्य पंजी, 5. हिस्से और हिस्सेदारी पूंजी, 6. निक्षेप पंजी, 7. वार्षिक साधारण सभा व प्रबन्ध समिति की कार्यवाही पुस्तक, 8. सदस्यता हेतु आवेदन पंजी, 9. कच्चे माल की पंजी, 10. तैयार माल की प्राप्ति पंजी, 11. छूट-दावा पंजी, 12. सदस्यों के वैध उत्तराधिकारी के मनोनयन की पंजी, 13. उत्पादन बिक्री पंजी, 14. मजदूरी पंजी, 15. निरीक्षण पंजी, 16. आवक-जावक पंजी व अन्य आवश्यक अभिलेख जो कारोबार के लिए आवश्यक हैं।

उपविधि क्रमांक (62) संस्था की मुद्रा :-

62.1 संस्था की एक संयुक्त मुद्रा होगी जो अध्यक्ष/प्रबन्धक के पास रहेगी और जिसका उपयोग समिति द्वारा अधिकृत अधिकारी कर सकेंगे। इस लिखतम पर जिस पर यह मुद्रा लगाई जावेगी, समिति के अध्यक्ष तथा प्रबन्धक के अथवा ऐसे पदाधिकारियों के हस्ताक्षर होंगे जिन्हें समिति ने इस सम्बन्ध में अधिकार दिया हो।

उपविधि क्रमांक (63) विवाद :-

63.1 विवाद जो इन उपविधियों के अथवा संस्था के सम्बन्ध में छ.ग. सहाकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत हो, निर्णय के लिए सहकारी संस्थाओं के पंजीयक को प्रस्तुत होंगे जो उक्त विधान तथा उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार उसका निर्णय करेंगे।

उपविधि क्रमांक (64) समझौता समिति :-

64.1 सदस्यों के साथ कोई विवाद हो तो उसका निर्णय एक समझौता समिति के द्वारा कराया जाएगा जिसमें संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचित एक सदस्य उस सदस्य का मनोनीत एक व्यक्ति तथा सहकारी संस्थाओं के पंजीयक द्वारा मनोनीत किया हुआ एक व्यक्ति होगा। इस सम्बन्धी उन करार पत्रों में जो असदस्यों के साथ

किए जावें, प्रयोजन रखा जाना आवश्यक होगा।

उपविधि क्रमांक (65) सूचना पत्र की ता......... :-

65.1 इन उपविधियों में जहां बताया गया है कि किसी सदस्य को लिखी सूचना पत्र दिया जावेगा तो ऐसे सूचना पत्र का ऐसे सदस्यों को स्वयं दिया जाना अथवा पंजीकृत डाक से उस पते पर जो संस्था के सदस्यों के रजिस्टर में नोट किया हुआ हो भेजा जावेगा।

उपविधि क्रमांक (66) विविध :-

66.1 अन्य बातें जिनका पृथक उल्लेख इन उपविधियों में न किया गया हो, सहकारी संस्था विधान तथा उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार की जावेगी।

66.2 संस्था छ.ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 के अंतर्गत राज्य शासन पंजीयक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

उपविधि क्रमांक (67) कर्मचारियों के नियम व सेवा शर्ते :-

67.1 पंजीयक के अनुमोदन के अधीन संस्था कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा, शर्तो, प्रवास, भत्ता, छुट्टी, निवृत्ति, वेतन या सामान्य भविष्य निधि इत्यादि प्रबन्ध समिति के सदस्य को देय प्रवास भत्ते आदि के सम्बन्ध में नियम बनाएगी।

उपविधि क्रमांक (68) घाटे का दायित्व :-

68.1 संचालक मण्डल के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रबन्धक इत्यादि जिनको संस्था के संचालक के सम्बन्ध में अधिकार है, व्यवहार कुशल व्यक्ति के समान सब काम चिन्ता से व सावधानी से करेंगे और उस हानि के लिए उत्तरदायी होंगे जो कि सहकारी संस्था विधान, उसके अंतर्गत नियम और इन उपविधियों के विरूद्ध काम करने से संस्था की प्रबन्ध समिति घाटे के कारणों को संस्था की साधारण सभा में प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा परीक्षण कर घाटे की पूर्ति के लिए आवश्यक निर्देश प्रबन्ध समिति को देगी।

उपविधि क्रमांक (69) कर्मचारियों की रक्षा निधि :-

संस्था के लिए आवश्यक होगा कि अपने कर्मचारियों तथा कामगारों के लिए भाव रक्षा निधि का निर्माण करे।

उपविधि क्रमांक (70) पंजीकृत पता व संस्था का नाम प्रदर्शन :-

70.1 छ.ग. सहकारी समितियां नियम 1962 के नियम 22 (1) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर संचालक मण्डल संस्था का पता पंजीयक को सूचित करेगा।

70.2 संस्था अपने पंजीकृत कार्यालय जहां-जहां यह करोबार करती है वहां संस्था द्वारा जारी की गई समस्त सूचनाओं एवं अधिकारिक प्रकाशनों में, अपनी समस्त संविदानों

पर, कारोबारी पत्रों पर, माल के लिए आदेशों में, बीजक, लेखाओं के विवरण पर और समस्त कारोबारी पत्रों पर संस्था का नाम, पंजीकृत कार्यालय का पता और छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत अनिवार्य रूप से लिखेगी।

उपविधि क्रमांक (71) अन्य इकाई स्थापना :-

संस्था पंजीयक की अनुमति के बिना संस्था की कोई शाखा कार्यक्षेत्र से बाहर स्थापित नहीं करेगी।

उपविधि क्रमांक (72) दस्तावेजों का निष्पादन :-

72.1 रसीदों को छोड़कर संस्था की ओर से निष्पादित सारे भार पत्रों (चार्जेस) या अन्य लिखितों पर संस्था के प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष, प्रबन्धक और संचालक मण्डल के एक अन्य सदस्य के हस्ताक्षर रहेंगे। प्रबन्ध समिति के अधिकार प्राप्त कर प्रबन्धक रसीदों पर हस्ताक्षर करेंगे।

उपविधि क्रमांक (73) भवन व सम्पत्ति :-

73.1 अपने निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था को जिन कार्यालय, छाबरियों (शेड्स) और गोदामों की आवश्यकता हो उन्हें वह पंजीयक की पूर्व मंजूरी से बना सकेगी या किराए पर ले सकेगी तथा इस प्रयोजन के लिए भूमि प्राप्त करेगी।

उपविधि क्रमांक (74) संशोधन का अधिकार :-

74.1 संस्था की क्रमांक 1 से 74 तक की उपविधियों में संशोधन, संबर्धन अथवा निरसन का अधिकार पंजीयक के आधीन रहेगा।